I-199/07

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

504035

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि — रू0 48,50,105/—

बाजारू मूल्य — रू0 8,08,200/—

अदा किये गये स्टाम्प शुल्क — रू0 4,88,000/—

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — बिजनौर
3. ग्राम — [illegible]
4. सम्पत्ति का विवरण — भूमि खसरा संख्या 23 रकबा

25000

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

504040

-2-

0.846 हेक्टेयर का पूर्ण भाग स्थित ग्राम– दैयानऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

6. भवन की ऊंचाई – हेक्टेयर

7. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.846 हेक्टेयर

INDIA NON JUDICIAL

25000 25000

25000

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

504041

-3-

7. सड़क की स्थिति – सुल्तानपुर रोड 500 मी. व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मी. से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

9. पेड़ों की स्थिति – कोई पेड़ नहीं है।

10. बोरिंग/ कुआं आदि – कुछ भी नहीं है।

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चौहद्दी खसरा नं0 23

उत्तर	: खसरा नं0–28, व 30
दक्षिण	: खसरा नं0–22
पूरब	: खसरा नं0–32
पश्चिम	: खसरा नं0–24

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

प्रथम पक्ष की संख्या– 1	:	द्वितीय पक्ष की संख्या– 1
विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
बदलू पुत्र हेमराज निवासी ग्राम देवामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	:	अजय कुमार वर्मा पुत्र शिवनाथ निवासी– ग्राम– [illegible], तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव।

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

504044

व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

यह विक्रय विलेख नन्हू पुत्र हेमराज निवासी ग्राम देवामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम् अरूण कुमार वर्मा पुत्र बैजनाथ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

524046

निवासी– ग्राम– मन्दौली, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव

जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया ।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 23 रकबा 0.845

[illegible] पूर्ण भाग स्थित ग्राम— दैवानक, परगना बिजनौर

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

504046

तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व काबिल है तथा उपरोक्त सत्यापित फसलीय खतौनी 00029 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

504047

-5-

है अतः विक्रेता को उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता को पैसो की अत्यंत आवश्यकता है इसलिये वह अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

504048

काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीलिंग व पट्टे की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों

25000

25000

25000

25000

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

504045

से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने अभी इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, रेहन, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

504050

तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक स्थानाधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा अन्य

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DEC 2004
50405

भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु0 40,69,100/- के प्रतिफल में विक्रेता उपरोक्त क्रेता

25000 INDIA NON JUDICIAL 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता गण स्वीकार करते हैं तदानुसार उक्त विक्रेता ने उक्त क्रेता के द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि जिसका विवरण इस

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची में अंकित किया गया है, को कराई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार से

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

229519

-17-

कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई दावा कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs.20000 Rs.20000

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

229530

के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण पैदा या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000

₹ 20000 INDIA NON JUDICIAL ₹ 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हर्जा व खर्चा, विक्रेता की बाबत, अथवा सम्पत्ति से जरिये धनराशि वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

10000रु. Rs.10000

INDIA NON JUDICIAL

05AA 975763

24 DEC 2004

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ एवं अन्य किसी भी सरकारी अथवा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 129795

कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख से पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, क्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 12573

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम [illegible] अर्द्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 12,90,000/– प्रति हेक्टेअर है इस प्रकार विक्रीत भूमि 0.645 की मालियत 8,32,050/– होती है तथा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 4,08,000/- पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़

इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चल रही हैं व कोई नलकूप कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से 500 मीटर व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

<u>प्रतिफल भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेता को रू0 48,59,108/- द्वारा चैक संख्या-[illegible]8414 दिनांकित 21.12.200[illegible] पंजाब नेशनल बैंक, [illegible] क्रेता से प्राप्त हुए।

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

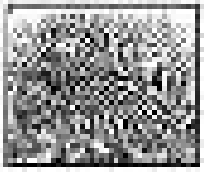

[illegible]

एस.के. वार्ष्णेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]

[illegible]

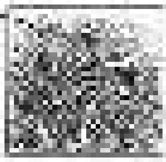

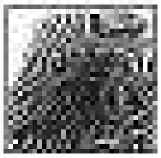

[illegible]

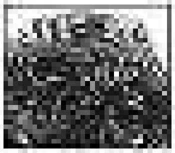

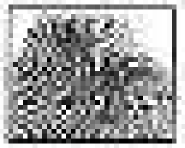

[illegible]

एस.के. वार्ष्णेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 48,59,108/- (रुपया अड़तालिस लाख उनसठ हजार एक सौ आठ मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ
दिनांक : 07.01.2008

<u>गवाह</u> : विक्रेता की पहचान की

1. [illegible]

विक्रेता

क्रेता की पहचान की

2. [illegible]

क्रेता

टाईपकर्ता
(एम०कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता
(विनोद कुमार सिंह)
एडवोकेट

Details

Registration No. : 195 Year : 2008 Book No. : 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

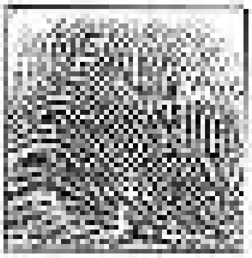

नक्शा नजरी

ग्राम :

खसरा संख्या : 23

विलेख :

क्षेत्र :

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित अन्य सम्पत्तियों का विवरण

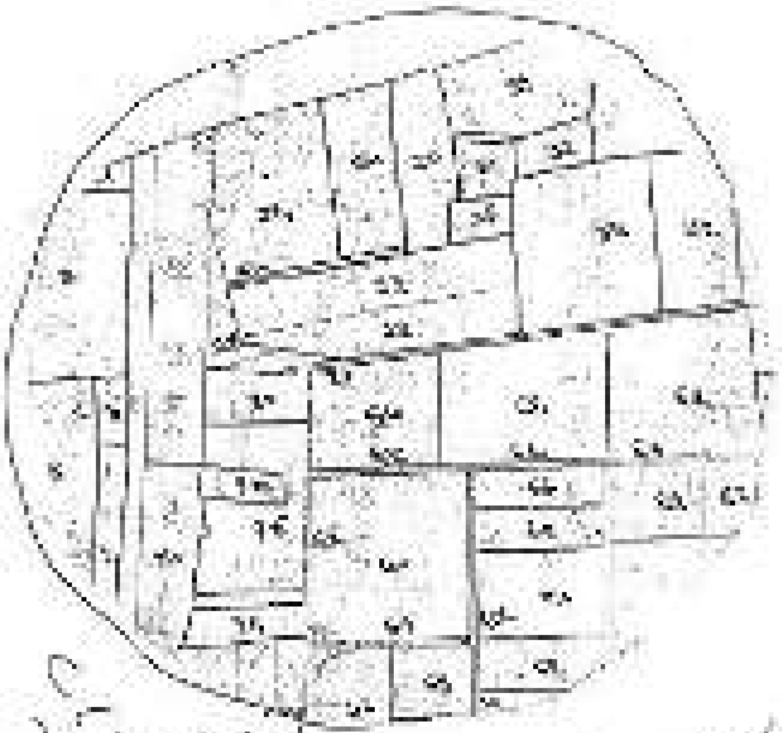

नक्शा नजरी

ग्राम :

हल्का संख्या-

जिला :

क्षेत्र

चिन्हित सम्पत्ति के निकट स्थित सार्वजनिक सम्पत्तियों का विवरण

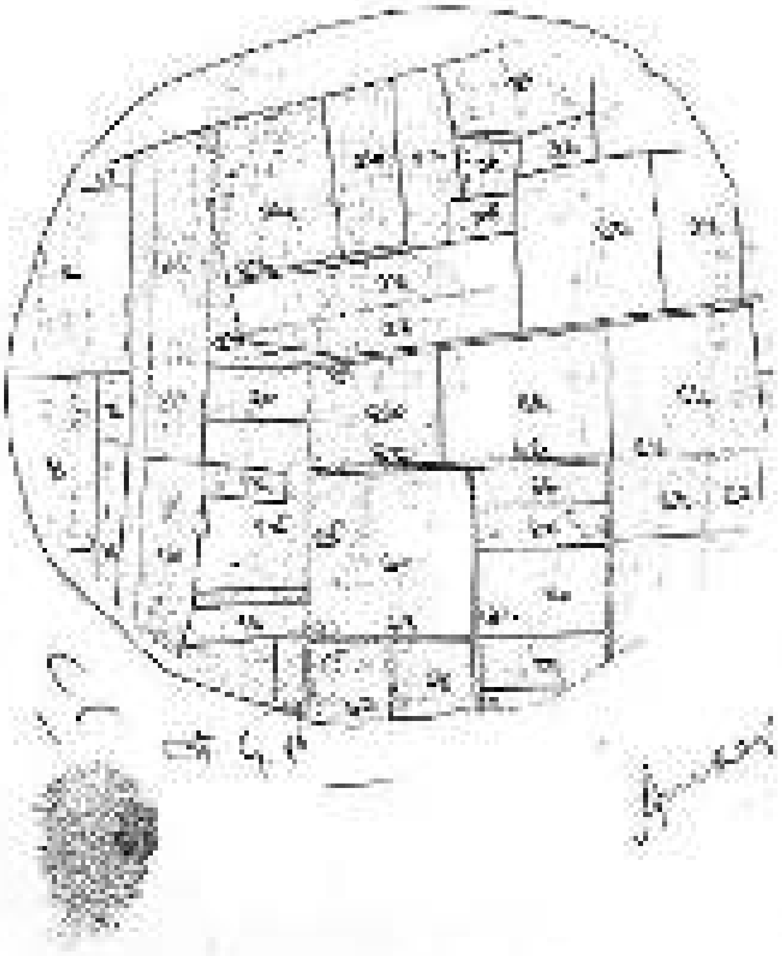

Registration No. [illegible]   Year: 2008   Book No. 1

[illegible]

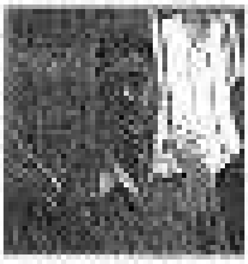

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए के अनुपालन हेतु,

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता -

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह -

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह -

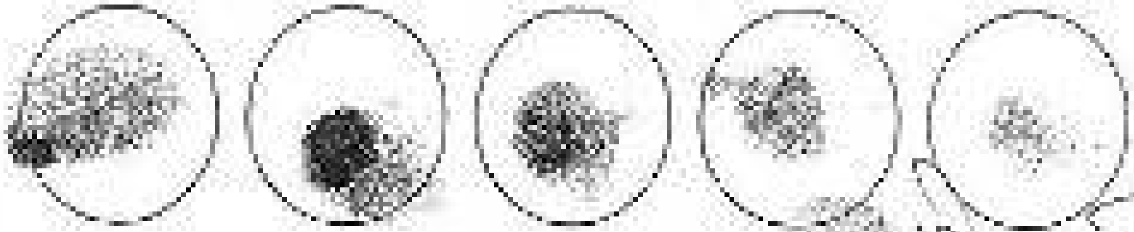

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता -

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह -

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह -

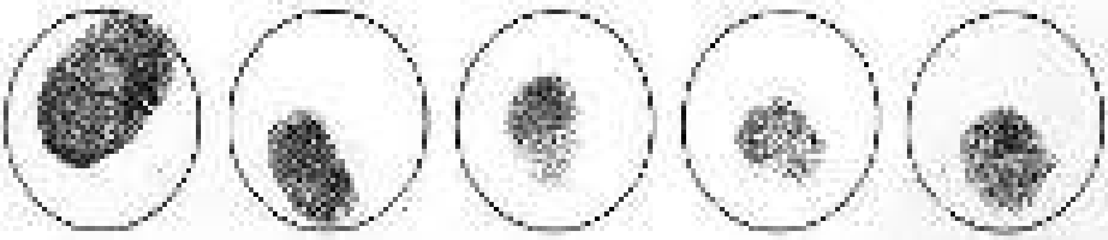

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 07/01/2016 को

बही सं 1 जिल्द सं 8834

पृष्ठ सं 83 से 138 पर क्रमांक 109

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस.के. पाण्डेय
उप निबंधक (सदर)
लखनऊ
[illegible]